भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1311

उत्तर देने की तारीख-28/07/2025

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का प्रत्यायन

†1311. **श्री वी. वैथिलिंगम:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए;
(ख) क्या श्रम बाजार सूचना प्रणाली (एलएमआईएस) द्वारा उपलब्ध कराए गए मांग और आपूर्ति के आंकड़ों का अध्ययन के बाद क्षेत्र-विशिष्ट पाठ्यक्रम आरंभ किए जाने चाहिए;
(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): भारत सरकार ने दिनांक 5 दिसंबर 2018 की अधिसूचना संख्या एसडी-17/113/2017-ई एवं पीडबल्यू के तहत व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण और कौशल विकास में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विनियम और मानक स्थापित करने वाले एक व्यापक नियामक के रूप में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना की है। एनसीवीईटी का प्रमुख अधिदेश राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) को अनुकूलित करना और कौशल आधारित योग्यताओं को अनुमोदित करना है, जिसे अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र दोनों में कार्यान्वित किया जा रहा है। एनएसक्यूएफ एनसीवीईटी पर आधारित है और इसका कार्यान्वयन, अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति (एनएसक्यूसी) के माध्यम से किया जाता है।

एनएसक्यूसी सभी प्रकार के राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस), माइक्रो-क्रेडेंशियल (एमसी), उद्योग-आधारित कौशल पाठ्यक्रमों और अन्य कौशल आधारित योग्यताओं के

एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन के लिए उत्तरदायी है, जिसमें प्रमाणपत्र (अल्पकालिक और दीर्घकालिक) योग्यता के साथ-साथ डिप्लोमा और उन्नत डिप्लोमा योग्यताएं, अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी), दीर्घकालिक प्रशिक्षण (एलटीटी) कौशल सहित प्रमाणन शामिल हैं। ये योग्यताएं आवश्यकतानुसार नए कौशल, पुन:कौशल और कौशल उन्नयन की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का एनएसक्यूएफ संरेखण बहु-कौशल, अंतर-क्षेत्रीय कौशल और/या उभरती और भावी प्रौद्योगिकियों में कौशल विकास की भी पूर्ति करता है।

शिक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) तकनीकी शिक्षा, विशेष रूप से इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, वास्तुकला, फार्मेसी और आतिथ्य आदि से संबंधित कार्यक्रमों की गुणवत्ता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। यह विभिन्न तकनीकी संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए परिणाम-आधारित कार्यक्रम प्रत्यायन के संरचित तंत्र के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

शिक्षा मंत्रालय ने 8 विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्र विशेष समूहों (एसएसजी) का गठन किया, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक आईआईटी/आईआईएम/आईआईएससी द्वारा किया जाएगा, ताकि "फ्यूचर ऑफ वर्क" की नौकरी संबंधी आवश्यकताओं का आकलन किया जा सके और उन पाठ्यक्रमों की सूची निर्धारित की जा सके, जिन्हें भावी कार्यबल के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। एसएसजी द्वारा एग्रीटेक (आईआईटी रोपड़), स्वास्थ्य देखभाल और बायो-इलेक्ट्रॉनिक्स (आईआईटी मद्रास), बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा (बीएफएसआई) (आईआईएम बैंगलोर), ऊर्जा (आईआईटी दिल्ली), लॉजिस्टिक्स (आईआईएम मुंबई), डिजिटल और क्रिएटिव इकोनॉमी (आईआईटी बॉम्बे), इंजीनियरिंग में एआई (आईआईएससी बैंगलोर) और विनिर्माण और उद्योग 4.0 (आईआईटी मद्रास) क्षेत्र कवर किए गए। आईआईटी दिल्ली ने इस पहल के तहत ऊर्जा शिक्षा में पाठ्यक्रम पहले से ही शुरू कर दिया है।

*****